NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 05-11-2026

विषय सूची

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'विस्तार योजना' को स्वीकृति

दोहरे पोषक तत्त्वों से समृद्ध नमक (DFS) और भारत में रक्ताल्पता का भार

भारत में प्रजनन दर में गिरावट

मंत्रिमंडल द्वारा अग्निवीरों के लिए दो वर्ष की सेवा-विस्तार अवधि को स्वीकृति

भारत का आगामी दशक में 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य

संक्षिप्त समाचार

त्वरित विशेष न्यायालय योजना का विस्तार

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II

QS एशिया रैंकिंग 2027

सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय गैर-काल्पनिक पुस्तक के लिए शारजाह पुरस्कार

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'विस्तार योजना' को स्वीकृति

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए 'विकसित भारत सांख्यिकीय रूपांतरण, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल' (VISTAR योजना) को स्वीकृति प्रदान की है।

परिचय

- यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसका उद्देश्य भारत की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली का व्यापक पुनर्गठन करना है। इसके अंतर्गत सांख्यिकी मंत्रालय के सभी सर्वेक्षणों, आँकड़ों और आर्थिक जनगणना संबंधी कार्यों को एक ही छत्र के अधीन समेकित किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** समयबद्धता, आँकड़ों की सूक्ष्मता, अंतर-संचालनीयता तथा सामंजस्यपूर्ण एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग के लिए तैयार आँकड़ा-संग्रह को बेहतर बनाने हेतु एक गतिशील, वास्तविक समय आधारित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधिकारिक सांख्यिकीय ढाँचा स्थापित करना।
- यह योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि (वित्त वर्ष 2027–वित्त वर्ष 2031) के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण आँकड़ों की कमियों को दूर करने के लिए 59 सर्वेक्षणों का वित्तपोषण करेगी।
 - इसके अंतर्गत लंबे समय से लंबित आठवीं आर्थिक जनगणना तथा राज्य सांख्यिकी ब्यूरो के लिए सहायता कार्यक्रम के पुनर्गठन को भी वित्तपोषित किया जाएगा।
- इस योजना के तीन प्रमुख घटक हैं:
 - व्यापक सांख्यिकीय संचालन एवं पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण।
 - राज्यों के लिए सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता (SSS)।
 - आर्थिक जनगणना।
- **प्रथम घटक: व्यापक सांख्यिकीय संचालन एवं पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण:** इसके अंतर्गत सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करेगा तथा आँकड़ों के प्रसंस्करण, सत्यापन और विश्लेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं मशीन लर्निंग (ML) को शामिल करेगा।
 - मंत्रालय कुछ नए उपायों की शुरुआत करने की योजना बना रहा है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - सेवा उत्पादन का समग्र सूचकांक।
 - असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का सूचकांक।
 - पारंपरिक सर्वेक्षणों के पूरक के रूप में मोबाइल फोन, स्कैनर और ई-वाणिज्य से प्राप्त आँकड़ों जैसे वैकल्पिक स्रोतों का भी उपयोग किया जाएगा। इससे उत्तरदाताओं पर पड़ने वाला भार कम करने में सहायता मिलेगी।
- **द्वितीय घटक: राज्यों के लिए सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता (SSS):** राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रदान की जाने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता को निर्धारित परिणामों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति से जोड़ा जाएगा।
 - MoSPI प्रमुख सर्वेक्षणों, जैसे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), में जिला स्तर और दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अनुमान तैयार करने की क्षमता बढ़ाने में सहायता करेगा।
 - इसके अतिरिक्त, राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और जिला सकल घरेलू उत्पाद के संकलन को भी सुदृढ़ किया जाएगा।
- **तृतीय घटक: आर्थिक जनगणना:** इस घटक के अंतर्गत MoSPI राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से आठवीं आर्थिक जनगणना (EC) आयोजित करेगा।
- इसके माध्यम से ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों तथा उनमें नियोजित कामगारों से संबंधित विस्तृत एवं सूक्ष्म आँकड़े और गतिविधियों का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
- आर्थिक जनगणना से प्राप्त आँकड़े राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी होंगे।
- इससे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में असंगठित क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

महत्त्व

- VISTAR योजना में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सभी सांख्यिकीय एवं आँकड़ा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा।
- यह देश की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्रोत: PIB

दोहरे पोषक तत्त्वों से समृद्ध नमक (DFS) और भारत में रक्ताल्पता का भार

संदर्भ

- भारत में रक्ताल्पता का भार अत्यधिक है, जिसके कारण लौह तत्त्व और आयोडीन युक्त दोहरे पोषक तत्त्वों से समृद्ध नमक (DFS) की शुरुआत का प्रस्ताव किया गया है। हालाँकि, इसकी प्रभावशीलता, सुरक्षा और नमक की खपत कम करने के लक्ष्यों के साथ इसकी अनुकूलता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

दोहरे पोषक तत्त्वों से समृद्ध नमक (DFS)

- DFS खाद्य नमक है, जिसे लौह तत्त्व (हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए) और आयोडीन (थायरॉइड ग्रंथि के कार्य के लिए) से समृद्ध किया जाता है।
- लगभग प्रत्येक परिवार नमक का उपयोग करता है। इसलिए, खान-पान की आदतों में परिवर्तन किए बिना इसके माध्यम से बड़ी जनसंख्या तक पोषक तत्त्व पहुँचाए जा सकते हैं।

सार्वभौमिक रूप से DFS लागू करने से जुड़ी चिंताएँ

- **नमक की खपत कम करने के लक्ष्य से टकराव:** WHO प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक के सेवन का परामर्श देता है, जबकि भारत में उच्च रक्तचाप और गैर-संचारी रोगों (NCDs) के मामले बढ़ रहे हैं। DFS से लौह तत्त्व की प्राप्ति नमक के सेवन पर निर्भर करती है। अतः सोडियम का सेवन कम करने से लौह तत्त्व का सेवन भी घट जाता है।
- **असमान वितरण:** वयस्क पुरुष, महिलाओं और बच्चों की तुलना में अधिक नमक का सेवन करते हैं। परिणामस्वरूप, लौह तत्त्व उन संवेदनशील समूहों तक सबसे कम पहुँचता है जिन्हें इसकी अधिक आवश्यकता है, जबकि रक्ताल्पता के कम जोखिम वाले समूहों को इसकी अधिक मात्रा प्राप्त होती है।
- **लौह तत्त्व की अधिकता का जोखिम:** शरीर अतिरिक्त लौह तत्त्व को आसानी से बाहर नहीं निकाल सकता, जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न हो सकता है। थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों में लौह तत्त्व के अत्यधिक संचय का जोखिम रहता है। इसके अतिरिक्त, मलेरिया-प्रभावित और अपर्याप्त स्वच्छता वाले क्षेत्रों में लौह तत्त्व का सेवन अन्य चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- **संचयी सेवन:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), पीएम पोषण (PM POSHAN), एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) और लौह-फोलिक अम्ल (IFA) अनुपूरण के माध्यम से पहले से ही लौह तत्त्व उपलब्ध कराया जा रहा है। DFS को इसमें जोड़ने से बच्चों और किशोरों में लौह तत्त्व का सेवन आवश्यकता से अधिक हो सकता है।
- **अपर्याप्त अवशोषण:** DFS में गैर-हीम लौह तत्त्व होता है, जिसका अवशोषण फाइटेट्स (अनाज, मोटे अनाज और दालों में पाए जाने वाले), चाय एवं कॉफी के पॉलीफेनॉल तथा कैल्शियम के कारण कम हो जाता है। संक्रमण और सूजन की स्थिति में हेप्सिडिन का स्तर बढ़ जाता है, जो लौह तत्त्व के अवशोषण को बाधित करता है। इसलिए, जहाँ रोगों का भार अधिक है, वहाँ DFS के लाभ सीमित हो जाते हैं।

रक्ताल्पता (Anaemia) क्या है?

- रक्ताल्पता एक ऐसी स्थिति है, जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य सीमा से कम हो जाता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता घट जाती है। लौह तत्त्व की कमी रक्ताल्पता का एक प्रमुख कारण है, लेकिन यही इसका एकमात्र कारण नहीं है।
- WHO के अनुसार, प्रजनन आयु वर्ग की वे महिलाएँ, जिनके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर (g/dL) से कम है, तथा 5 वर्ष से कम आयु के वे बच्चे, जिनमें हीमोग्लोबिन का स्तर 11.0 g/dL से कम है, रक्ताल्पता से पीड़ित माने जाते हैं।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5), 2019–21 के अनुसार, 6–59 माह आयु वर्ग के 67.1% बच्चे और 15–49 वर्ष आयु वर्ग की 59.1% महिलाएँ रक्ताल्पता से पीड़ित थीं। (NFHS-6, 2023–24 में रक्ताल्पता संबंधी आँकड़ों को शामिल नहीं किया गया था।)

प्रभाव

- **स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव:** थकान, कमजोरी तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों में वृद्धि।
- **संज्ञानात्मक प्रभाव:** सीखने की क्षमता, स्मृति और बाल विकास पर प्रतिकूल प्रभाव।
- **आर्थिक प्रभाव:** कार्यक्षमता और श्रम उत्पादकता में कमी।
- **सामाजिक प्रभाव:** पीढ़ी-दर-पीढ़ी कुपोषण का संचरण तथा जीवन की गुणवत्ता में गिरावट।
- **मानव विकास पर प्रभाव:** जनसांख्यिकीय लाभांश तथा सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2 (शून्य भुखमरी) और SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण) की प्राप्ति में बाधा।

भारत की रणनीति: एनीमिया मुक्त भारत (AMB)

- AMB छह लाभार्थी समूहों, छह हस्तक्षेपों और छह संस्थागत तंत्रों पर आधारित 6×6×6 रूपरेखा का अनुसरण करता है।
- इसके प्रमुख उपायों में लौह एवं फोलिक अम्ल (IFA) अनुपूरण, कृमिनाशन, व्यवहार परिवर्तन संचार, जाँच एवं उपचार तथा पोषण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना शामिल है।



भारत की रक्ताल्पता नियंत्रण रणनीति के समक्ष चुनौतियाँ

- जठरांत्र संबंधी दुष्प्रभावों के कारण IFA अनुपूरकों का नियमित सेवन कम है।
- नैदानिक जाँच प्रायः हीमोग्लोबिन के स्तर तक ही सीमित रहती है तथा फेरिटिन, विटामिन B12 और सूजन संबंधी जाँचें सीमित रूप से की जाती हैं।
- अनेक परिवारों के लिए पौष्टिक एवं विविधतापूर्ण आहार अब भी वहनीय नहीं है।
- संचयी सेवन का पर्याप्त आकलन किए बिना अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से लौह तत्त्व उपलब्ध कराया जा रहा है।
- निगरानी व्यवस्था में प्रायः स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के बजाय वितरित गोलियों और की गई जाँचों की संख्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

आगे की राह

- **साक्ष्य-आधारित खाद्य सुदृढ़ीकरण:** राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने से पहले निगरानी सहित जिला-स्तरीय प्रायोगिक परियोजनाएँ संचालित की जानी चाहिए। इनमें हीमोग्लोबिन, फेरिटिन और सूजन संबंधी संकेतकों की निगरानी की जानी चाहिए। लौह तत्त्व के संचयी सेवन का आकलन किया जाए तथा मलेरिया-प्रभावित और हीमोग्लोबिन संबंधी आनुवंशिक विकारों की अधिकता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- **लक्षित हस्तक्षेप:** संवेदनशील समूहों और जाँच के माध्यम से पुष्टि की गई पोषक तत्त्वों की कमियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्थानीय आहार के अनुकूल लौह यौगिकों का चयन किया जाए तथा अनावश्यक सेवन से बचा जाए।
- **सुदृढ़ नैदानिक जाँच:** फेरिटिन और विटामिन B12 की जाँच तक पहुँच का विस्तार किया जाए तथा अंतर्निहित कारणों के आधार पर उपचार संबंधी प्रोटोकॉल विकसित किए जाएँ।
- **सामाजिक निर्धारक:** खाद्य पदार्थों की वहनीयता और आहार की विविधता में सुधार किया जाए। साथ ही, स्वच्छता, कृमिनाशन और मलेरिया नियंत्रण को सुदृढ़ बनाया जाए। किशोरों में अल्पपोषण, बाल विवाह और मातृ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए।
- **परिणाम-आधारित निगरानी:** हीमोग्लोबिन और लौह तत्त्व की स्थिति में सुधार तथा प्रतिकूल प्रभावों का आकलन किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

स्रोत: TH

भारत में प्रजनन दर में गिरावट

संदर्भ

- भारत में प्रजनन दर में गिरावट के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दो से अधिक संतान होने पर दंडित करने वाले कानूनों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है।

कुल प्रजनन दर (TFR)

- भारत की कुल प्रजनन दर (TFR), अर्थात् किसी महिला के संपूर्ण प्रजनन काल (15–49 वर्ष) में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या, घटकर 1.9 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है।
 - प्रतिस्थापन प्रजनन दर वह प्रजनन दर है, जिस पर एक महिला को आगामी पीढ़ी में जनसंख्या का आकार स्थिर बनाए रखने के लिए औसतन जितने बच्चों को जन्म देना आवश्यक होता है, ताकि प्रवासन के प्रभाव को अलग रखा जा सके।
- वर्ष 2024 में भारत के केवल पाँच राज्यों—बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़—की कुल प्रजनन दर 2.1 से अधिक थी।

- दिल्ली में सबसे कम कुल प्रजनन दर 1.2 दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में यह दर 1.3 रही।
- वर्ष 1985 में भारत की कुल प्रजनन दर 4.3 थी। तब से इसमें प्रतिवर्ष लगभग 0.06 की दर से गिरावट आई है और इस गिरावट के उलटने के कोई संकेत नहीं हैं।
 - वर्तमान गति के अनुसार, वर्ष 2031 तक भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.6 से नीचे आने का अनुमान है।

प्रभाव

- **जनसंख्या वृद्धि की गति में कमी और अंततः स्थिरीकरण:** प्रतिस्थापन स्तर से कम प्रजनन दर का अर्थ है कि समय के साथ प्रत्येक पीढ़ी का आकार विगत पीढ़ी की तुलना में छोटा होता जाएगा। अंततः जनसंख्या के स्थिर होने और बाद में घटने की संभावना है।
- **वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि:** प्रजनन दर निरंतर निम्न बने रहने से कुल जनसंख्या में वृद्ध नागरिकों का अनुपात बढ़ेगा।
 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या वर्ष 2011 के लगभग 10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2036 तक 23 करोड़ होने की संभावना है।
 - भारत को जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के समान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे—पेंशन संबंधी देनदारियों में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक व्यय तथा वृद्धावस्था देखभाल और सामाजिक सुरक्षा की बढ़ती माँग।
- **भविष्य में श्रमबल संबंधी चुनौतियाँ:** जन्म दर में गिरावट के परिणामस्वरूप अंततः श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है। यदि उत्पादकता में सुधार के माध्यम से छोटे होते श्रमबल की भरपाई नहीं की गई, तो आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है।
- **क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असंतुलन:** विभिन्न राज्यों में प्रजनन दर में उल्लेखनीय भिन्नता है। अधिकांश दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अपेक्षाकृत उच्च प्रजनन दर दर्ज की जा रही है।
 - इससे आंतरिक प्रवासन के स्वरूप, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधनों के आवंटन और श्रम बाजार की गतिशीलता में बदलाव आ सकता है।

आगे की राह

- **नई जनसंख्या नीतियों की आवश्यकता:** भारत की नीतिगत प्राथमिकता धीरे-धीरे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने से हटकर वृद्ध होती जनसंख्या के प्रबंधन की ओर स्थानांतरित हो सकती है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश को सुदृढ़ करने का अवसर:** भारत में अभी भी कार्यशील आयु वर्ग की बड़ी जनसंख्या है। प्रजनन दर में गिरावट से परिवारों और राज्य पर आश्रित जनसंख्या का भार कम हो सकता है।
 - शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और श्रमबल की उत्पादकता में अधिक निवेश किया जा सकता है।

स्रोत: TH

मंत्रिमंडल द्वारा अग्निवीरों के लिए दो वर्ष की सेवा-विस्तार अवधि को स्वीकृति

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन 75% अग्निवीरों के लिए अतिरिक्त दो वर्ष की सेवा अवधि को स्वीकृति दी है, जिन्हें अपनी प्रारंभिक चार वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बाद नियमित सेवा के लिए चयनित नहीं किया जाता है।

अग्निपथ योजना के बारे में

- इसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया था और इसे टूर ऑफ ड्यूटी योजना भी कहा जाता है।
- यह भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में अल्पकालिक भर्ती की योजना है।
- इस नीति के अंतर्गत, अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक संवर्ग (PBOR) में 'अग्निवीरों' की चार वर्ष के लिए भर्ती की जाती है। इस अवधि के अंत में प्रत्येक बैच के केवल 25% भर्ती किए गए अग्निवीरों को 15 वर्ष की नियमित सेवा के लिए बनाए रखा जाता है।
- **आयु सीमा:** 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती के लिए पात्र हैं।
- **वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ:**
 - **प्रथम वर्ष:** अनुकूलित वेतन पैकेज – ₹30,000/- + भत्ते।
 - **द्वितीय वर्ष:** अनुकूलित वेतन पैकेज – ₹33,000/- + भत्ते।
 - **तृतीय वर्ष:** अनुकूलित वेतन पैकेज – ₹36,500/- + भत्ते।
 - **चतुर्थ वर्ष:** अनुकूलित वेतन पैकेज – ₹40,000/- + भत्ते।

- उपर्युक्त वेतन पैकेज का 30% प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से एक निधि में जमा किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार भी समान राशि का योगदान करेगी।
- **सेवा निधि पैकेज:** चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर कार्यमुक्त किए जाने के समय, निधि में जमा ₹5.02 लाख की राशि के बराबर योगदान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार, अग्निवीरों को ₹10.04 लाख की राशि और उस पर अर्जित ब्याज प्रदान किया जाएगा। सेवा निधि को आयकर से छूट प्राप्त है।

- अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के दौरान ₹48 लाख का अंशदान-रहित जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
 - वे सेना समूह बीमा निधि (AGIF) की योजनाओं एवं लाभों के लिए पात्र नहीं हैं।
- यह योजना देश की सेवा करने के इच्छुक भारतीय युवाओं को अल्प अवधि के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती होने का अवसर प्रदान करती है।
 - यह योजना सशस्त्र बलों के युवा स्वरूप को सुदृढ़ करती है।

अतिरिक्त सेवा अवधि

- योग्यता के आधार पर 25% अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करने का वर्तमान प्रावधान जारी रहेगा।
- शेष 75% अग्निवीरों को अतिरिक्त दो वर्ष की सेवा का अवसर दिया जाएगा।
- इस अवधि को पूरा करने के बाद वे नियमित सैनिकों के रूप में भर्ती होने के पात्र होंगे, बशर्ते वे इसके लिए इच्छुक हों और चयन मानदंडों को पूरा करते हों।
- **उद्देश्य:** अग्निवीरों की आकांक्षाओं को सशस्त्र बलों की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और संगठनात्मक दक्षता के अनुरूप बनाना।
- **सेवा संबंधी शर्तें:** दूसरी सेवा अवधि में अधिक पारिश्रमिक, उन्नत सेवा निधि पैकेज और वरिष्ठता संबंधी लाभ प्रदान किए जाएँगे।

योजना का महत्त्व

- **सैन्य बलों में औसत आयु कम करना:** विशेष रूप से थल सेना में सैनिकों की औसत आयु कम करने पर 1980 के दशक से सैन्य बलों के अंदर ध्यान दिया जाता रहा है।
- **रक्षा व्यय में कमी:** यह वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित दीर्घकालिक वित्तीय भार को कम करने में सहायता करती है। इससे रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए अधिक राजकोषीय गुंजाइश उपलब्ध होती है।
- **तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य:** भविष्य के युद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणालियों, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष-आधारित खुफिया, निगरानी एवं टोही (ISR) तकनीकों के माध्यम से लड़े जाएँगे।
 - भारत में अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों को युवा और तकनीकी रूप से दक्ष स्वरूप प्रदान करना सुनिश्चित करेगी।
- **रोजगार:** यह योजना रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगी। चार वर्ष की सेवा के दौरान अर्जित कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
 - इससे अर्थव्यवस्था को अधिक कौशलयुक्त कार्यबल उपलब्ध होगा, जो उत्पादकता में वृद्धि और समग्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि में सहायक होगा।
- **आपदा प्रबंधन:** सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपदा प्रतिक्रिया, बचाव कार्यों और आपातकालीन प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं।

चिंताएँ एवं चुनौतियाँ

- **करियर संबंधी अनिश्चितता:** नियमित सेवा में भर्ती अब भी योग्यता, रिक्तियों और चयन मानदंडों पर निर्भर रहेगी।
- **रैंक में असमानता:** छह वर्ष की सेवा के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीरों को उन अग्निवीरों की तुलना में एक रैंक नीचे रखा जाएगा, जिन्हें चार वर्ष बाद ही नियमित सेवा के लिए बनाए रखा गया था।
- **राजकोषीय समझौता:** अधिक वेतन, बड़ी सेवा निधि और लंबी सेवा अवधि से प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ता है। दीर्घकाल में पेंशन संबंधी देनदारी भी पुनः उत्पन्न होती है।
- **कौशल विकास का अनसुलझा प्रश्न:** 22 वर्ष के बजाय 24 वर्ष की आयु में सेवा से बाहर होना सहायक है, लेकिन प्रमाणन और अन्य सेवाओं में पार्श्व प्रवेश के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों का नागरिक कार्यक्षेत्र में समावेशन अभी भी सीमित है।
- **जनशक्ति नियोजन:** सशस्त्र बलों को युवावस्था, अनुभव और दीर्घकालिक संस्थागत आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।

निष्कर्ष

- अतिरिक्त सेवा अवधि का निर्णय अग्निपथ योजना के प्रथम चार वर्षों के विस्तृत आकलन और सशस्त्र बलों की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।

- यह निर्णय रक्षा बलों में दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों की निरंतरता है, जिसका उद्देश्य एक युवा, अधिक सक्षम, तकनीकी रूप से सुसज्जित और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार सैन्य बल का निर्माण करना है।

स्रोत: TH

भारत का आगामी दशक में 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत का लक्ष्य आगामी 10–11 वर्षों में 500 गीगावाट की नई गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ना है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति

- भारत ने लगभग 308 गीगावाट की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर ली है, जो देश की कुल 558.89 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 55.1% है।
- IRENA के नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर भारत सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में तीसरे, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर है।
- भारत ने वर्ष 2025 में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने का पेरिस समझौते के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य, वर्ष 2030 की समय-सीमा से पाँच वर्ष पहले ही हासिल कर लिया।
- देश का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) क्या हैं?

- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) पेरिस समझौते के अंतर्गत देशों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली देश-विशिष्ट जलवायु कार्ययोजनाएँ हैं।
 - इनमें ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।
 - महत्त्वाकांक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए NDCs की समय-समय पर समीक्षा एवं संशोधन किया जाता है।
- भारत का NDC समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत पर आधारित है। यह दृष्टिकोण समानता और जलवायु न्याय पर बल देता है।

NDC 3.0 (2031–2035) के अंतर्गत लक्ष्य

- **उत्सर्जन तीव्रता में कमी:** भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता (GDP की प्रति इकाई पर CO2 उत्सर्जन) में 47% की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का विस्तार:** भारत ने वर्ष 2035 तक अपनी कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 60% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **कार्बन सिंक का निर्माण:** भारत ने वर्ष 2035 तक वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 3.5 से 4 अरब टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक का निर्माण करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण का महत्त्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** इससे आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता और विशेष रूप से पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता कम होती है।
- **जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताएँ:** यह पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य को समर्थन प्रदान करता है।
- **निवेश एवं रोजगार:** विगत दशक में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 164 अरब डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है।
 - वर्ष 2030 तक लगभग 220 अरब डॉलर (₹20 लाख करोड़) के निवेश अवसर उपलब्ध होने की अपेक्षा है।
- **तकनीकी विकास:** यह सौर सेल, बैटरी, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण, नवाचार तथा तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देता है।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में बाधाएँ

- **कम क्षमता उपयोग कारक (CUF):** स्वच्छ ऊर्जा स्रोत रुक-रुककर उपलब्ध होते हैं और मौसम पर निर्भर रहते हैं। इसलिए, उच्च स्थापित क्षमता होने के बावजूद इनका वास्तविक ऊर्जा उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है।
 - **उदाहरण:**
 - **सौर ऊर्जा CUF:** लगभग 20%
 - **पवन ऊर्जा CUF:** लगभग 25–30%
 - **कोयला आधारित ऊर्जा CUF:** लगभग 60%
 - **परमाणु ऊर्जा CUF:** लगभग 80%

- **आधारभूत विद्युत माँग के लिए कोयले पर निर्भरता:** भारत की 75% से अधिक विद्युत माँग की पूर्ति अब भी कोयले से होती है, विशेषकर रात के समय, जब सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती।
 - भारत का विद्युत ग्रिड चौबीसों घंटे (RTC) विद्युत की आपूर्ति के लिए अब भी तापीय ऊर्जा स्रोतों पर अत्यंत सीमा तक निर्भर है।
- **भंडारण एवं पारेषण संबंधी सीमाएँ:** बड़े स्तर पर ग्रिड से जुड़ी बैटरी भंडारण प्रणालियों की कमी के कारण दिन के समय उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा का भंडारण संभव नहीं हो पाता।
 - पारेषण संबंधी नियोजन नवीकरणीय ऊर्जा (RE) की स्थापना की गति के अनुरूप नहीं है।
- **भूमि अधिग्रहण:** भूमि की उपलब्धता और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में विलंब हो सकता है।

स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहलें

- **हरित ऊर्जा गलियारा (GEC):** इसका उद्देश्य उत्पादन केंद्रों से माँग केंद्रों तक नवीकरणीय ऊर्जा के कुशल पारेषण के लिए पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करना है।
- **पीएम-कुसुम योजना:** यह ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देती है, जिससे डीजल की खपत कम करने और किसानों को सहायता प्रदान करने में सहायता मिलती है।
- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** इसका उद्देश्य शोधन, इस्पात और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देना है।
- **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना:** इसके अंतर्गत उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल और उन्नत बैटरी भंडारण प्रणालियों के घरेलू विनिर्माण को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा हाइब्रिड नीति:** यह एक ही स्थान पर सौर और पवन ऊर्जा को संयोजित करने वाली परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, जिससे क्षमता उपयोग और विश्वसनीयता में वृद्धि होती है।
- **राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM):** इसे वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रिड से जुड़े और ग्रिड से स्वतंत्र सौर ऊर्जा परियोजनाओं सहित सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना के लिए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (RPO):** इसके अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों और बड़े विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अपनी विद्युत आवश्यकता का एक निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना अनिवार्य है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा की माँग को प्रोत्साहन मिलता है।

आगे की राह

- **बैटरी एवं ऊर्जा भंडारण अवसंरचना:** व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) या उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) के माध्यम से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) की स्थापना में तीव्रता लाई जानी चाहिए।
 - बैटरी भंडारण प्रणालियों के साथ सौर-पवन-जलविद्युत को संयोजित करने वाली हाइब्रिड परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।
- **विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा:** आधारभूत विद्युत आपूर्ति पर दबाव कम करने के लिए छतों पर सौर संयंत्रों, सौर पंपों और लघु विद्युत ग्रिडों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
 - उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसी पहलों के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण का विस्तार किया जाना चाहिए।
- **ग्रिड का आधुनिकीकरण एवं स्मार्ट प्रबंधन:** माँग और आपूर्ति के बीच वास्तविक समय में संतुलन बनाए रखने के लिए स्मार्ट ग्रिड में निवेश किया जाना चाहिए।
 - विशेष रूप से दिन के समय सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए समय-आधारित विद्युत मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू की जानी चाहिए।
- **रणनीतिक स्तंभ के रूप में परमाणु ऊर्जा:** स्थिर एवं कम कार्बन उत्सर्जन वाली आधारभूत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऊर्जा क्षमता का चरणबद्ध और वित्तीय रूप से टिकाऊ तरीके से विस्तार किया जाना चाहिए।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

त्वरित विशेष न्यायालय योजना का विस्तार

समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित त्वरित विशेष न्यायालयों (FTSCs) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) को आगामी पाँच वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी है।

त्वरित विशेष न्यायालय योजना

- त्वरित विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में तथा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में की गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 100 से अधिक लंबित मामलों वाले जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए।
- इस योजना को प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया था तथा बाद में इसे 31 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया।
 - वर्तमान स्वीकृति के अंतर्गत योजना को आगामी पाँच वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2031 तक जारी रखा जाएगा।

स्वीकृत योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- इस योजना का कार्यान्वयन न्याय विभाग द्वारा संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों के समन्वय से किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत विभिन्न भाग लेने वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित 850 त्वरित विशेष न्यायालयों (FTSCs) को क्रियाशील बनाने का प्रावधान है।
- बलात्कार तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आने वाले अपराधों से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित न्यायिक अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक और 6 सहायक कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी।
- केंद्र प्रायोजित योजना के वित्तपोषण प्रारूप के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को त्वरित विशेष न्यायालयों के परिचालन व्यय की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रभाव

- **त्वरित न्याय की उपलब्धता:** यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए शीघ्र सुनवाई और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना।
- **लंबित मामलों में कमी:** बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों की संख्या कम करना।
- **बाल-अनुकूल एवं पीड़ित-केंद्रित वातावरण:** यह योजना संवेदनशील साक्षी बयान केंद्रों (VWDCs) और बाल-अनुकूल न्यायालयीन स्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, ताकि पीड़ितों को अतिरिक्त मानसिक कष्ट पहुँचाए बिना उनकी गवाही दर्ज की जा सके।
- **असमानता में कमी:** महिलाओं और बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देकर न्याय तक पहुँच में असमानताओं को कम करना।

स्रोत: PIB

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II को मार्च 2028 तक विस्तारित कर दिया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- इसे वर्ष 2014 में वर्ष 2019 तक देशव्यापी खुले में शौच से मुक्त (ODF) स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वर्ष 2019–20 तक सभी जिलों को ODF घोषित कर दिया गया था।
 - 31 दिसंबर, 2025 तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 96% से अधिक गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है।
 - ODF प्लस गाँव वह है, जो अपनी खुले में शौच से मुक्त स्थिति को बनाए रखता है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है तथा दृश्य रूप से स्वच्छ बना रहता है।
 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II का कार्यान्वयन वर्ष 2020–21 से 2025–26 तक मिशन मोड में किया जा रहा था।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II का प्रमुख उद्देश्य गाँवों की ODF स्थिति को बनाए रखना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है, जिससे गाँवों को ODF प्लस बनाया जा सके। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - ODF स्थिति की स्थिरता;
 - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन;
 - तरल अपशिष्ट प्रबंधन;
 - दृश्य स्वच्छता।
- केंद्र और राज्य सरकारें सभी घटकों की लागत निम्नलिखित अनुपात में साझा करती हैं:
 - पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, जिनमें जम्मू-कश्मीर भी शामिल है, के लिए 90:10;
 - अन्य राज्यों के लिए 60:40;
 - केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100:0।

स्रोत: IE

QS एशिया रैंकिंग 2027

संदर्भ

- QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 के अनुसार, लगभग 71% भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है।

रैंकिंग के बारे में

- इसे अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा विश्लेषण संगठन QS क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत एशिया के विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाता है।
- वर्ष 2027 के संस्करण में 26 उच्च शिक्षा प्रणालियों के 1,722 विश्वविद्यालय शामिल हैं।
- इस रैंकिंग में विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन 11 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। इनमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, संकाय-छात्र अनुपात, प्रति शोध-पत्र उद्धरण, प्रति संकाय सदस्य शोध-पत्रों की संख्या, पीएचडी धारक कर्मचारी, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय संकाय और छात्र गतिशीलता आदि शामिल हैं।
- शैक्षणिक प्रतिष्ठा को सर्वाधिक 30% भारांक दिया गया है, जबकि नियोक्ता प्रतिष्ठा को 20% भारांक दिया गया है।

प्रमुख मुख्य बिंदु: वैश्विक स्तर

- हांगकांग विश्वविद्यालय ने अपना प्रथम स्थान बरकरार रखा, जिसके बाद पेकिंग विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा।
- सिंघुआ विश्वविद्यालय छह स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुँच गया।
- शीर्ष 10 में हांगकांग के पाँच, मुख्य भूमि चीन के तीन और सिंगापुर के दो विश्वविद्यालय शामिल रहे।

Top 10 universities in Asia in 2027

The top 10 universities in the QS World University Rankings: Asia Region 2027 are:

Rank	University	Location
1	The University of Hong Kong	Hong Kong SAR
2	Peking University	Mainland China
3	Tsinghua University	Mainland China
4	City University of Hong Kong (CityUHK)	Hong Kong SAR
5	The Chinese University of Hong Kong (CUHK)	Hong Kong SAR
=6	Fudan University	Mainland China
=6	National University of Singapore (NUS)	Singapore
8	Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)	Singapore
=9	The Hong Kong Polytechnic University	Hong Kong SAR
=9	The Hong Kong University of Science and Technology	Hong Kong SAR

Source: QS World University Rankings: Asia Region 2027

प्रमुख मुख्य बिंदु: भारत

- भारत के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है। विगत वर्ष के 294 संस्थानों की तुलना में इस वर्ष 325 संस्थान शामिल हुए हैं। इस प्रकार, मुख्य भूमि चीन के बाद भारत क्षेत्र की दूसरी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बन गया है। मुख्य भूमि चीन के संस्थानों की संख्या 395 से बढ़कर 448 हो गई है।
 - वर्ष 2016 से भारत का प्रतिनिधित्व 24 संस्थानों से बढ़कर 325 संस्थानों तक पहुँच गया है, अर्थात् इसमें तेरह गुना से अधिक वृद्धि हुई है।
- केवल छह भारतीय संस्थान शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त कर सके हैं। नवीनतम संस्करण में इन सभी की रैंकिंग में गिरावट आई है।
- देश के सर्वोच्च रैंकिंग वाले संस्थान IIT दिल्ली की रैंकिंग विगत संस्करण के 59वें स्थान से सात स्थान गिरकर 66वें स्थान पर आ गई है।

• QS RANKINGS: ASIA 2027

Top 10 Indian universities in regional top 200

Institution	2026 rank	2027 rank
IIT Delhi	59	**66**
IISc Bangalore	64	**79**
IIIT Bombay	71	**83**
IIT Madras	70	**85**
IIT Kharagpur	77	**90**
IIT Kanpur	77	**97**
Chandigarh University	109	**104**
Delhi University	95	**106**
IIT Guwahati	115	**120**
IIT Roorkee	114	**124**

325 universities ranked, including **34 new entrants;** second only to China **(448)**

71% of Indian universities slipped in rankings, while 18% improved

India leads Asia in research output per faculty, with 27 universities in the top 50 and five in the top 10 for Papers per Faculty


IIT Delhi

स्रोत: IE

सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय गैर-काल्पनिक पुस्तक के लिए शारजाह पुरस्कार

संदर्भ

- निर्मला लक्ष्मण को उनकी पुस्तक 'द तमिल्स: ए पोर्ट्रेट ऑफ अ कम्युनिटी' के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय गैर-काल्पनिक पुस्तक का शारजाह पुरस्कार प्रदान किया गया है।

पुस्तक के बारे में

- ऐतिहासिक शोध और व्यक्तिगत अवलोकनों पर आधारित यह पुस्तक तमिल समुदाय के इतिहास, समाज और संस्कृति का विश्लेषण करती है। इसमें सदियों के दौरान इस समुदाय के विकास तथा भौगोलिक सीमाओं से परे इसके प्रभाव का वर्णन किया गया है।
- तमिल संस्कृति के परिचित प्रतीकों, जैसे चोल वंश, मंदिरों, कर्नाटक संगीत और शास्त्रीय साहित्य से आगे बढ़ते हुए यह पुस्तक तमिल विरासत के कई कम ज्ञात पहलुओं को भी उजागर करती है।

सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुस्तक के लिए शारजाह पुरस्कार

- यह पुरस्कार दो श्रेणियों में उत्कृष्ट एवं विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय पुस्तकों को सम्मानित करता है:
 - सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय काल्पनिक पुस्तक के लिए 50,000 UAE दिरहम का पुरस्कार।
 - सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय गैर-काल्पनिक पुस्तक के लिए 50,000 UAE दिरहम का पुरस्कार।

स्रोत: TH

■■■